दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश अभियुक्त घायलावस्था सहित कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण, 01 देशी तमन्चा .315 बोर, 01 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा गोवंश एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।***

इसी क्रम में आज दिनाँक 14.08.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि निर्माणीधीन मकान बाबर कालोनी हाकिमपुरा थाना कोतवाली देहात में कुछ व्यक्ति गौकशी करने की तैयारी कर रहे है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मय फोर्स के आम के बाग के पास मौके पर पहुंचे तो देखा कि 04 व्यक्तियों द्वारा गौकशी की घटना करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान ***1. महमूद पुत्र वसीर अहमद निवासी लिंक रोड गली न0 02 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर हाल निवासी पंजाव नैशनल बैंक वाली गली रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर (घायल)*** *के रूप में हुई। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर मे भर्ती कराया गया तथा दूसरे बदमाश* ***2. इरफान पुत्र सुबराती नि0 जमापुर बेरी थाना गागालेहडी जनपद सहारनपुर हाल नि0 जुलमगढ का मदरसा विस्बास कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर*** *को भागते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से गौकशी के उपकरण, 01 तमन्चा देशी .315 बोर व 01 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा गोवंश व 01 पिकअप गाडी बरामद हुई। दो अन्य बदमाश जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। फरार बदमाशो की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार काम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 402/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजिकृत कर किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. महमूद पुत्र वसीर अहमद निवासी लिंक रोड गली न0 02 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर हाल नि0 पंजाव नैशनल बैंक वाली गली रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर (घायल)

2. इरफान पुत्र सुबराती नि0 जमापुर बेरी थाना गागालेहडी जनपद सहारनपुर हाल नि0 जुलमगढ का मदरसा विस्बास कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर (गिरफ्तार)

<u>बरामदगी का विवरण:</u>

- *01 तमंचा .315 बोर*
- *01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर*
- *01 जिन्दा गोवंश*
- *01 पिकअप बरामद*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री विमल कुमार सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3- उ०नि० श्री निप्पी सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4- है0का0 870 रोबिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5- है०का0 1296 अंकुर कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
6- है0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
7- का0 1716 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

दिनांक- 14.08.2026

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. मौ0 आबिद पुत्र मौ0 अकबर निवासी 8/4604/61 गली न0 -08 सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी साहरनपुर व 2. मौहम्मद अकबर जुबैरी पुत्र मौहम्मद असलम निवासी 8/4604/61 गली न0 -08 सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी साहरनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 1060/24 मु0अ0सं0 44/2007 धारा 446 सीआरपीसी **(मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 4 सहारनपुर)** में सम्राट विक्रम कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *मौ0 आबिद पुत्र मौ0 अकबर निवासी 8/4604/61 गली न0-08 सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी साहरनपुर*
2. *मौहम्मद अकबर जुबैरी पुत्र मौहम्मद असलम निवासी 8/4604/61 गली न0-08 सम्राट विक्रम कालोनी थाना मण्डी साहरनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी सहारनपुर*
2. *है0का0 235 विनित कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*
3. *है0का0 237 योगेन्द्र कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*
4. *का0 2528 अनिल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*
5. *रि0का0 1213 रितिक कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया मोबाइल फोन व एक कट्टा अनाज बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 10/08/2026 को वादी हारून पुत्र जफरू निवासी ग्राम कोठडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 10/08/2026 को अज्ञात चोर द्वारा वादी के घऱ मे घुसकर सामान चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 379/26 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी की घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14/08/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए* ***01 वांछित अभियुक्त भारत पुत्र हंसराज निवासी नली पार थाना कुंजपुरा करनाल हरियाणा*** *को ग्राम बाडी माजरी के आगे पडने वाले अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया मोबाइल फोन व एक कट्टा अनाज (24 किग्रा) बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढौतरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भारत पुत्र हंसराज निवासी नली पार थाना कुंजपुरा करनाल हरियाणा

बरामदगी का विवरण

- *01 अदद मोबाइल फोन विवो*
- *01 कट्टा गेंहू (24 किग्रा)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 09/06/2026 को वादी श्री रामबीर पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम खजुरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सुदामा व उसके तीन साथियों द्वारा वादी के भाई महक सिंह को कार मे बैठकर ले जाने व जान से मारने की नियत से मारपीट करने, गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 411/2026 धारा 126(2)/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस बनाम सुदामा आदि 4 के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज 14.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वाछित अभियुक्त सुदामा पुत्र सत कुमार निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना देवबन्द जिला मुजफ्फरनगर** को ग्राम फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

सुदामा पुत्र सत कुमार निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना देवबन्द जिला मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरणः

01 अवैध चाकू घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1- उ0नि0 श्री दीपक कुमार चौकी प्रभारी रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2- रि0का0 713 सत्यप्रकाश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3- रि0का0 709 विक्रम सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगांव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2026 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1- बबला पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 479/20 व मु0अ0सं0 324/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम चालानी थाना बडगांव (मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जिला सहारनपुर) में ग्राम शिमलाना से व* ***2- अंकित पुत्र अक्षय निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 888/18 व मु0अ0सं0 58/18 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम चालानी थाना बडगांव (मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जिला सहारनपुर) में ग्राम शिमलाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हेतु समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1- बबला पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- अंकित पुत्र अक्षय निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त बबला का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 188/16 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 324/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 50/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4- मु0अ0सं0 44/2003 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5- मु0अ0सं0 155/2006 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 58/18 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 173/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 281/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
4- मु0अ0सं0 282/19 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5- मु0अ0सं0 11/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- का0 112 हिमांशु थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- का0 1198 अनिल कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 13.08.2026 को वादी मुकदमा श्री नीरज त्यागी पुत्र स्व0 गुरूदत्त त्यागी निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के बाहर से वादी मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार सीटी रंग ग्रे रजि0 नं0 यूपी-11क्यू-7103 चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर को मु0अ0सं0 209/2026 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए* ***01 वांछित शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गौतम कुमार पुत्र सुरेशपाल निवास ग्राम होशियारपुर थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर*** *को ग्राम हसनपुर लोटनी स्थित अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल यूपी-11क्यू-7103 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गौतम कुमार पुत्र सुरेशपाल निवास ग्राम होशियारपुर थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरणः-

01 चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार (यूपी-11क्यू-7103)

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 285/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर

2- मु0अ0सं0 209/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र राव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

3- उ0नि0 श्री मुन्नालाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

4- कां0 1835 अभिषेक गौतम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान प्रतिबन्धित मांस की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 60 किलोग्राम प्रतिबन्धित मांस व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में गौकशी/चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/गौकश अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वार लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.07.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गस्त के दौरान **प्रतिबन्धित मांस की तस्करी करने 02 शातिर अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र रमजानी निवासी कमेला कालोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर** व **2. कलीम पुत्र बहार अहमद निवासी गोटेशाह की चुंगी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को आले की चुंगी मंडी समिति कुडे घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के **कब्जे से 60 किलोग्राम प्रतिबन्धित मांस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी (UP11CN5314)** बरामद हुई। बरामद स्कूटी को अन्तर्गत धार 207 एम0वी0 एक्ट मे सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 414/2026 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. आसिफ पुत्र रमजानी निवासी कमेला कालोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर
2. कलीम पुत्र बहार अहमद निवासी गोटेशाह की चुंगी थाना मंडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः –

- 60 किलोग्राम प्रतिबन्धित मांस
- 01 स्कूटी घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 09 महबूब थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 1570 रवि कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
6. का0 2308 प्रवीन थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त यशपाल पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी ओजपुरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 750/17 धारा 138 एनआई एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर (माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) नियत तिथि 18.08.2026 में मौहल्ला ओजपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

यशपाल पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी ओजपुरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. उ0नि0 श्री लोकेश राणा थाना सदर बाजारजनपद सहारनपुर।

2. का0 2064 रूचिन कुमार सदर बाजारजनपद सहारनपुर

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत माल मुकदमाती कुल 55 वाहनों की नीलामी कराकर कुल 8,40,000/- रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** *अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा नायब तहसीलदार बेहट श्री विजय कुमार की अध्यक्षता में एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री विकास प्रताप सिंह चौहान, सम्भागीय निरीक्षक श्री रोहित कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा, है0मौ0 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना फतेहपुर पर ख़डे* **कुल 55 माल मुकदमाती/207 एमवीएक्ट में सीज वाहन** *जिनकी आरटीओं कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 70,7600/- रुपये निर्धारित की गई थी, के अनुसार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 31 बोली दाताओं द्वारा उक्त नीलामी प्रक्रिया मे भाग लेकर बोली लगायी गई।* **बोली दाता जावेद पुत्र इकबाल निवासी भनेडा टांडा कस्बा व थाना मंगलौर जिला हरिद्वार द्वारा 8,40,000 रुपये बोली लगाई गई।** *जो निर्धारित मुल्य से 1,32,400/- रू0 अधिक है। उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित राजकोष मे जमा की जायेगी। कुल नीलाम शुदा वाहनों का निस्तारण कराया गया।*

नीलामी हुए वाहनों का विवरणः-

- *40 वाहन दो पहिया*
- *15 वाहन चार पहिया*

नीलामी कराने वाली टीम का विवरणः-

1. *श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर।*
2. *श्रीमान तहसीलदार बेहट, सहारनपुर।*
3. *श्रीमान सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर।*
4. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर स0पुर।*
5. *श्रीमान व0उ0नि0 भूपेन्द्र कमार शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
6. *हैड मोहर्रिर 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत 01 माल मुकदमाती बॉयलर (वजन लगभग 06 टन) का निस्तारण कराया गया

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा नायब तहसीलदार बेहट श्री विजय कुमार की अध्यक्षता मे एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री विकास प्रताप सिंह चौहान, सम्भागीय निरीक्षक श्री रोहित कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा, है0मौ0 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/2000 धारा 39/49 एनआईएक्ट से सम्बन्धित दाखिल शुदा माल एक लोहा बॉयलर (विद्युत बनाने का यंत्र) वजन करीब 06 टन जिसको कबाडी मे तुलवाकर पैसा नियमानुसार आंकिक शाखा मे जमा कराया जायेगा।*

निस्तारण माल का विवरणः-

- *06 टन बॉयलर*

माल निस्तारण कराने वाली टीम का विवरणः-

1. *श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर , सहारनपुर।*
2. *श्रीमान तहसीलदार बेहट, सहारनपुर।*
3. *श्रीमान सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर।*
4. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
5. *श्रीमान व0उ0नि0 भूपेन्द्र कमार शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
6. *हैड मोहर्रिर 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना देवबंद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 02.08.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अरमान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम केन्दुकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने, अश्लील फोटो व वीडियो बनाना, वायरल करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 555/2026 धारा 69/351(3)/77 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त ***अरमान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम केन्दुकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को मुखबिर की सूचना पर ग्राम केन्दुकी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

अरमान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम केन्दुकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *उ0नि0 बन्टी सिह, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 773 सचिन कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*
3. *का0 2096 गौरव कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त उमेर पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला क्रोसिंग संहसधारा रोड थाना चूना भटटी देहरादून जिला देहरादून के द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारिरिक सम्बन्ध बनाने, अश्लील फोटो व वीडियो बनाना व वायरल करने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 433/2026 धारा 69/351(2)/77 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त ***उमेर पुत्र दिलशाद निवासी शस्त्रधारा क्रोसिंग रायपुर रोड थाना रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड*** *को मुखबिर की सूचना पर सैनी सराय देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उमेर पुत्र दिलशाद निवासी शस्त्रधारा क्रोसिंग रायपुर रोड थाना रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 सुभाष चन्द्र, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
2. *का0 730 अंकित कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 14.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.08.2026 को वादिया मुकदमा की तहरीर पर बाबत विपक्षीगण ***1.जुबेर पुत्र मोबीन नि0 मौ0 पठानपुरा थाना देवबन्द 2.अमजद पुत्र यासीन खान नि0 नामालूम 3. सोमपाल पुत्र मलखान नि0 नामालूम 4.मोहम्मद तसलीम खान पुत्र सलीम खान नि0 नामालूम*** *के द्वारा वादिया के पक्ष में पंजीकृत बैनामा क्रमांक 11918 बही सं0- 25 को धोखा धडी कर फर्जी तरीके से मोहम्मद तसलीम उपरोक्त के पक्ष में बैनामा कराने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 364/2026 धारा 318(4)/340(2)/336(2)/338 बीएनएस पंजीकृत किया गया।*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.08.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा त्वरित मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त आलम उर्फ तस्लीम पुत्र सलीम खान निवासी पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर अभि0 को मौ0 किला मोड देवबन्द सें गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आलम उर्फ तस्लीम पुत्र सलीम खान निवासी पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री रौबिल्स कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 1306 दीपक कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2543 सोनू कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*